[redacted]/2002 सा0प्र0 6271

[redacted] सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गिरिवर दयाल सिंह, (भा0प्र0से0)
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना–15, दिनांक 27.5.14

विषय:– ट्रांसफर्ड केश (सिविल) नं0–22/2001 (बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2012 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय वर्ग/वरीय वर्ग) एवं बिहार उच्च न्याय सेवा में कुल 127 पदों का अतिरिक्त पद सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ट्रांसफर्ड केश (सिविल) नं0–22/2001 (बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2012 को पारित निम्न न्याय निर्णय

"Keeping in view the need of the hour and the constitutional mandate to provide fair and expenditious trial to all litigents and the citizeans of the country, we direct the respective states and the Central Government to create 10 percent of the total regular cadre of the State as additiional posts within three months from today and take up the process for filling such additional vacanceis as per the higher Judicial Service and Judicial Service Rules of the state, immediately thereafter." के आलोक में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–13433 दिनांक 12.07.2013 द्वारा अनुशंसा संसूचित है, जिसमें असैनिक न्यायाधीश, कनीय वर्ग, वरीय वर्ग तथा बिहार उच्च न्याय सेवा में दिनांक 19.04.2012 तक निम्नांकित पद स्वीकृति का उल्लेख है:–

पद/संवर्ग का नाम	कुल स्वीकृत पद की संख्या
(क) असैनिक न्यायाधीश (कनीय वर्ग)	787
(ख) असैनिक न्यायाधीश (वरीय वर्ग)	190
(ग) बिहार उच्च न्याय सेवा	291

उपर्युक्त स्वीकृत पदों के आधार पर निम्न रूप में संवर्गवार पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गयी है:–

पद/संवर्ग का नाम	सृजित किये जाने वाले कुल पद की संख्या	वेतनमान
(क) असैनिक न्यायाधीश (कनीय वर्ग)	22	27700–770–30090–920–40450–1080–44770
(ख) असैनिक न्यायाधीश (वरीय वर्ग)	90	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010
(ग) जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु)	15	51550–1230–58930–1380–63070
कुल योग–	127 (एक सौ सत्ताइस) मात्र	

उक्त 22 असैनिक न्यायाधीश (कनीय वर्ग), 90 असैनिक न्यायाधीश (वरीय वर्ग) तथा जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के 15 पद सहित कुल 127 पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय, संलग्न व्यय विवरणी के अनुसार रु0 12,67,08,192/– (बारह करोड़ सड़सठ लाख आठ हजार एक सौ बानवे) तथा न्यायिक सेवा में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते अनुमान्य होंगे।

उक्त सृजित पदों का व्यय–बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लधु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" होगा। संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27.5.14

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/एम01–206/2002 सा0प्र0 6971 /पटना–15, दिनांक 27.5.14

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–13433 दिनांक 12.07.2013/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2014 के मद संख्या–14 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.5.14

सरकार के उप सचिव।

व्यय–विवरणी

ट्रांसफर्ड केश (रिविल) नं0–22/2001 (बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2012 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय वर्ग/वरीय वर्ग) एवं बिहार उच्च न्याय सेवा में कुल 127 अतिरिक्त पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक व्यय की विवरणी।

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक (औसत वेतन X पदों की संख्या X 12)	मं0 भत्ता@ 80 %	कुल वार्षिक व्यय
1.	असैनिक न्यायाधीश (कनीय वर्ग)	22	27700–770–33090–920–40450–1080–44770	36235	95,66,040	76,52,832	1,72,18,872
2.	असैनिक न्यायाधीश (वरीय वर्ग)	90	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	46770	5,05,11,600	4,04,09,280	9,09,20,880
3.	जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु)	15	51550–1230–58930–1380–63070	57310	1,03,15,800	82,52,640	1,85,68,440
	कुल योग	127	–	–	7,03,93,440	5,63,14,752	12,67,08,192

कुल वार्षिक व्यय का योग – 12,67,08,192/– (बारह करोड़ सड़सठ लाख आठ हजार एक सौ बानवे) रूपये मात्र।

नोट:– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

21.5.14

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के उप सचिव।